तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज डॉ. लक्ष्मणसिंह राठौड़ बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार शेरगढ) सू.अ.अ. अपील संख्या 140/2017	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.10.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी डॉ. लक्ष्मणसिंह राठौड़ पता डी/29, सरस्वतीनगर बासनी प्रथम चरण, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.07.2017 में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत गड़ा (शेरगढ) के साथ इनके राजस्व ग्राम रतनपुरा एवं अभयगढ की विगत तीन वर्षो 2015, 2016 तथा 2017 में गिरदावरी रिपोर्ट अनुसार दी गई अनुदान राशि की सूची सत्यापित प्रतिलिपि व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार शेरगढ) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार शेरगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार शेरगढ) ने जरिये पत्रांक 2053 दिनांक 06.10.17 सूचनार्थ पत्र प्रेषित किया जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे पूर्व में तहसील कार्यालय के पत्रांक 2006 दिनांक 18.08.17 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी थी तथा पुनः दिनांक 06.10.17 को व्यक्तिशः दी जा चुकी है तथा प्रार्थी ने दी गई सूचना से संतुष्टि भी प्रकट की अतः अपील स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	